प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 18.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 237/26 धारा 191(2)/191(3)/ 109(1)/115(2)352/117(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.04.2026 को कोतवाली बागपत पर वादी अशोक कुमार पुत्र श्री चरण सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सहदेव पुत्र रमेश, 2. शिव कुमार, 3. सुरेश पुत्रगण मेघराज 4.परिषद पुत्र रमेश, 5.अग्निवेश पुत्र ब्रह्मपाल समस्त निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा उसके भाई लोकिन्द्र की खेत की डौल/मैन्ड को ट्रैक्टर से तोडना शुरू कर दिया गया तथा विरोध करने पर इन लोगों द्वारा एक राय होकर मारपीट की गयी व परिषद द्वारा ट्रैक्टर से फावडा उठाकर उसके भतीजे शुभम के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार कर दिया, जिसमें शुभम द्वारा अपने बचाव में हाथों से फावडे का वार रोकने का प्रयास किया गया, जिससे उसके हाथों की उगलियां कट गयी तथा सहदेव व अन्य लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से ट्रेक्टर को तेजी से चलाकर ऊपर चढाकर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें ट्रैक्टर का पहिया चढ जाने से लोकिन्द्र के

पैरों की हड्डी टूट गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)352/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 237/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)352/117(2) बीएनएस में से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-शिवकुमार पुत्र मेघराज निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-अग्रिवेश पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम सरुरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-परिषद उर्फ परिक्षित पुत्र रमेश निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फावडा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अंकित चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 818 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 632 विनोद भाटी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 18.04.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 54/26 धारा 137(2)/70(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4 (1) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाईकिल प्लेटिना नं0 UP-19R-3615 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 54/26 137(2)/70(2)/ 351(3)/352 बीएनएस व 3/4(1) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 नरेशचन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 15 यशविन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-है0का0 801 सावन सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।